न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 127/2003 (223 आर0टी0एक्ट0)

उनवान

नत्थी पुत्र छिद्दू जाति लोधा निवासी बहरावती तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. नारायण सिंह उर्फ नरेना पुत्र नेकसे जाति लोधा नि0 बहरावती तह0 सैपऊ जिला धौलपुर (फौत)
   1/1. जावित्री पत्नी नारायण सिंह उर्फ नरेना (फौत)
   1/2. किलोल
   1/3. राधे
   1/4. पप्पू
   1/5. छोटा
   } पिसरान नारायण सिंह उर्फ नरेना जाति लोधा ग्राम बहरावली तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
   1/6. भगवानदेई पुत्री नारायण सिंह उर्फ नरेना पत्नी ठाकुरदास।
   1/7. रामढकेली पुत्री नारायण सिंह उर्फ नरेना पत्नी श्रीपत जाति लोधा ग्राम भूरा का पुरा, तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
2. विजय सिंह पुत्र खूबी जाति लोधा निवासी बहरावती तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
3. रामप्रसाद उर्फ रमेश उर्फ रमधो पुत्र नेकसे जाति लोधा नि0 बहरावती, तह0 सैपऊ, धौलपुर(फौत)
4. लीला पत्नी धाधू
5. सुनीता पुत्री धाधू
6. हरिविलास पुत्र धाधू
   } जाति लोधा निवासी बहरावती तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
7. बैकुण्ठी पत्नी नत्थी जाति लोधा निवासी बहरावती तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
8. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार सैपऊ,जिला धौलपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील संख्या :– 135/2003 (223 आर0टी0एक्ट0)

उनवान

नत्थी पुत्र छिद्दू जाति लोधा निवासी बहरावती तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. नारायण सिंह उर्फ नरेना पुत्र नेकसे जाति लोधा नि0 बहरावती तह0 सैपऊ जिला धौलपुर (फौत)
   1/1. जावित्री पत्नी नारायण सिंह उर्फ नरेना (फौत)
   1/2. किलोल
   1/3. राधे
   1/4. पप्पू
   1/5. छोटा
   } पिसरान नारायण सिंह उर्फ नरेना जाति लोधा ग्राम बहरावली तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
   1/6. भगवानदेई पुत्री नारायण सिंह उर्फ नरेना पत्नी ठाकुरदास।
   1/7. रामढकेली पुत्री नारायण सिंह उर्फ नरेना पत्नी श्रीपत जाति लोधा ग्राम भूरा का पुरा, तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
2. विजय सिंह पुत्र खूबी जाति लोधा निवासी बहरावती तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
3. रामप्रसाद उर्फ रमेश उर्फ रमधो पुत्र नेकसे जाति लोधा नि0 बहरावती, तह0 सैपऊ, धौलपुर(फौत)
4. लीला पत्नी धाधू
5. सुनीता पुत्री धाधू
6. हरिविलास पुत्र धाधू
   } जाति लोधा निवासी बहरावती तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
7. बैकुण्ठी पत्नी नत्थी जाति लोधा निवासी बहरावती तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
8. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार सैपऊ,जिला धौलपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक क्रमशः 31.05.2003 एवं 02.07.2003 प्रकरण संख्या 78/02 वउनवानी नारायण बनाम धाधू वगै0 न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर।

उपस्थित :–
1. श्री सुरेश कटारा एडवोकेट अपीलाण्ट ।
2. श्री श्रीगोपाल शर्मा एडवोकेट रैस्पो0 ।

निर्णय दिनांक :–16.11.2017

1. यह दोनों अपीलें इस न्यायालय में सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर के निर्णय दिनांक क्रमशः 31.05.2003 एवं 02.07.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। चूँकि दोनों अपीलो के तथ्य व पक्षकार एक ही हैं, इसलिए दोनों अपीलों को एक ही निर्णय से निस्तारित किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में शामिल की जावें।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 संख्या 1 ने एक दावा इश्तकरार हक, दुरूस्ती इन्द्राज व हुक्म इम्तनाई दवामी इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम बहरावली तहसील सैपऊ का खातेदार काश्तकार नेकसे था। नेकसे के चार पुत्र खूबी उर्फ खूवा, चन्द्रभान, नारायन सिंह व रामप्रसाद हुये और अपने हिस्से अनुसार 1/4–1/4 भाग पर काश्त करते रहे। खूबा ने अपना 1/4 हिस्सा हेत सिंह को विक्रय कर दिया, हेत सिंह ने अपीलाण्ट/प्रतिवादी नत्थी को विक्रय कर दिया। खूबा का पन्द्रह साल पूर्व देहान्त हो गया एवं खूबा के वारिस धाधू व विजय सिंह हैं। चन्द्रभान का देहान्त 8 साल पूर्व लाऔलाद हो गया। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी में रैस्पो0/वादी को 1/3 भाग, रैस्पो0/प्रतिवादी संख्या 6 रामप्रसाद 1/3, रैस्पो0/प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को 1/12–1/12 भाग खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं विवादित आराजी का बॅटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड किया जाकर, इन्द्राज दुरूस्त किये जाने की प्रार्थना की। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई दिनांक 31.05.03 को प्राथमिक डिक्री करते हुए, विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाकर, अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.07.2003 को अन्तिम डिक्री कर दिया। उक्त दोनों निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध, वर्तमान दोनों अपीलें क्रमशः 127/2003 विरूद्ध प्राथमिक डिक्री एवं 135/2003 विरूद्ध अन्तिम डिक्री प्रस्तुत हुई हैं।

3. अपीलें प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील संख्या 127/2003 की बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि विवादित भूमि में चन्द्रभान 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार था वह साधू हो गया। उसने हिस्सा हमेशा–हमेशा को शिकमी काश्त के लिये अपीलाण्ट को दे दिया था तथा चन्द्रभान का देहान्त 30

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

साल पूर्व हो गया। नारायण सिंह ने प्रत्यक्ष रूप से अपने बयान में स्वीकार किया कि विवादित आराजी में आधी जमीन को नत्थी काश्त करता है तथा बॅटवारा चौथाई हिस्सा का चाहता है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कथन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जबकि नारायन सिंह इस कथन से पाबंद है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर आधी जमीन पर कब्जा है एवं अपीलाण्ट की साक्ष्य से चन्द्रभान से शिकमी काश्त पर लेना तथा काश्त करना भली भांति सिद्ध है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के काउन्टर क्लेम को अस्वीकार करने में कानूनी त्रुटि की है। जबकि विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा 35 साल पूर्व से था एवं रैस्पो0 नें कब्जा स्वीकार किया गया है, तो अन्य साक्ष्य से अपीलाण्ट को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0डी0 1997 पेज 369, 1987 पेज 285, 1992 पेज 634, आर0बी0जे0 2001(एस.सी.) पेज 601, 1999(एस.सी.) पेज 221 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, विवादित आराजी में अपीलाण्ट को 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार किये जाने का निवेदन किया।

5. अपील संख्या 135/2003 की बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाण्ट द्वारा प्राथमिक डिक्री की अपील प्रस्तुत किये जाने एवं पत्रावली तलव का परवाना अधीनस्थ न्यायालय में पहुॅचाने के बाबजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने पदीय शक्तियों का दुरूपयोग करके अन्तिम डिक्री पारित की गई है, जो काबिल निरस्ती है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय पक्षकारों को सूचित नहीं किया गया है एवं ना ही विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा ही बनाये गये हैं, तहसीलदार द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक को अधिकृत कर दिया गया , उन्हीं के द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। इस प्रकार विभाजन प्रस्ताव राज0काश्तकारी अधिनियम(राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलाण्ट द्वारा विभाजन प्रस्तावों पर आपत्ति के लिये अवसर नहीं दिया गया है, जो अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका को देखने से स्पष्ट होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से कानून के विरूद्ध विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अन्तिम डिक्री पारित की है, जो काबिल निरस्ती है। अपने तर्को के समर्थन में आर0बी0जे0 1995 पेज 626, आर0आर0टी0 2011–12(सप्ली.) पेज 698, 2016–17(सप्ली.) पेज 711 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन के साथ–साथ लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी।

6. विद्वान अधीवक्ता रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि अनुरूप सही है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कुरों के बाबत् कोई आपत्ति नही की है। अधीनस्थ न्यायालय ने कुरों का गहनता से अवलोकन करते हुए विभाजन के नियमों को ध्यान में रखकर, पक्षकारो की सहमति से, अच्छी में सें अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का सही बॅटवारा किया है। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने यह नहीं बताया कि कुर्रो से मैरिट पर क्या आपत्ति है, केवल तकनीकी प्रक्रिया की आपत्ति पर बहस की गई है। अपीलाधीन आदेश पक्षकारों की सहमति से डिक्री किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7. पत्रावलियों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अनुतोष सहित सात तनकियॉ कायम की गई है। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

8. तनकी संख्या 01, 04, 05 व 06 :– प्रकरण में यह तथ्य तो निर्विवाद है कि विवादित भूमि का मूल खातेदार नेकसे था। जिसकी मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्रगण खूबी (रैस्पो0 01 व 02 का पिता), चन्द्रभान(मृतक), नारायण सिंह(वादी) व रामप्रसाद उर्फ रमेश(प्रतिवादी संख्या 6) प्रत्येक का 1/4 का अंकन आया। खूबी का 1/4 हिस्सा प्रदर्श–1 नकल वयनामा तथा जमाबन्दी प्रदर्श–4 से हेत सिंह को विक्रय होना तथा हेत सिंह से अपीलाण्ट/प्रतिवादी संख्या 03 नत्थी द्वारा क्रय होना सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार अपीलाण्ट/प्रतिवादी संख्या 03 नत्थी 1/4 का खातेदार बनता है। चन्द्रभान की मृत्यु के बाद उसका हिस्सा 1/4 के तीन भाग 1/12, 1/12, 1/12 हुए जो वादी, प्रतिवादी संख्या 6 व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को प्राप्त हुए। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 06 का प्रत्येक हिस्सा 1/3,1/3 हो जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 दोनो संयुक्त रूप से 1/12 के हिस्सेदार बनते हैं। अपीलाण्ट/प्रतिवादी संख्या 03 नत्थी ने काउन्टर क्लेम से चन्द्रभान का 1/4 हिस्सा शिकमी काश्त पर प्राप्त कर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर, खूबी का 1/4 एवं चन्द्रभान के 1/4 कुल 1/2 भाग के खातेदारी अधिकार के सृजन का दावा किया है। परन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अन्तर्गत प्रतिकूल कब्जे से अधिकार सृजन का कोई प्रावधान नहीं है। अतः नत्थी को चन्द्रभान के 1/4 हिस्से पर कोई अधिकार सृजित नहीं होते हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 01, 04, 05 व 06 के निष्कर्ष में हम कोई हस्तक्षेप वांछनीय नहीं पाते हैं।

9. तनकी संख्या 02 व 03 :– यह तनकियॉ सहकृषको में बटवारे की पात्रता एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् हैं। यह सिद्धान्त सहकृषक, बटवारें के अधिकारी होने तथा खातेदार को उसके कब्जे काश्त में अन्य सहकृषक के हस्तक्षेप करने वालो के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी होता है। अतः यह दोनों तनकियॉ भी अधीनस्थ न्यायालय ने सम्यक रूप से विनिश्चित की हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

10. अपील संख्या 135/2003 के परीक्षण में हम पाते हैं कि तहसीलदार सैपऊ द्वारा पत्र क्रंमाक/राजस्व/2003/809 दिनांक 09.06.2003 के संलग्न भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव पटवारी एवं भू0 अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार किये गये हैं एवं उक्त विभाजन प्रस्तावों पर किसी पक्षकार/गवाह की उपस्थिति के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। विभाजन के प्रकरणों में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 नियम 18 से 21 के प्रावधानों की पालना की जानी चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में उक्त नियमों की पालना दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः ऐसी स्थिति में न्यायहित को ध्यान में रखते हुए हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

11. अतः आदेश है कि अपील संख्या 127/2003 विरूद्ध प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.05.2003 खारिज की जाती है एवं अपील संख्या 135/2003 विरूद्ध अन्तिम डिक्री

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 02.07.2003 आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर के आदेश दिनांक 02.07.2003 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर देकर, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम(राजस्व मण्डल) अन्तर्गत नियम 18 से 21 की पालना करते हुए, यथासम्भव पक्षकारों के कब्जे को ध्यान में रखते हुए, एक पक्षकार को एक स्थान पर कुर्रे बनाते हुए, पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.12.2017 को उपस्थित होवें। दोनों पत्रावली फैशल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

12. निर्णय आज दिनांक 16.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official